प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.11.2024

थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्रान्तर्गत हुई चैन स्नैचिंग की घटना का हुआ अनावरण, थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान 01 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार कब्जे से 01 तंमचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर,02 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 पीली धातु की बटन नुमा गिट्टी व 01 मोटरसाईकिल बरामद

घटना / कार्यवाही का विवरण - विगत दिनों थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्रान्तर्गत दो बदमाशों द्वारा दिनांक 28/10/24 को शिव डेरी बी ब्लाक मार्ग के सामने रास्ते में जा रही महिला के पीछे से आकर गले से चैन को झपट्टा मारकर छीनकर ले जाने की घटना कारित की गयी थी। आज दिनांक 22/11/24 को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा केन्द्रीय विद्यालय के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी बाईक सवार 01 व्यक्ति आता दिखायी दिया जिसे रोकने का प्रयास किया गया लेकिन इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर रईसपुर की तरफ भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस टीम द्वारा पीछा कर घेर लिया जिस पर फिर उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गयी आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा उस पर फायरिंग की गई जिसमे वह बदमाश घायल हो गया। घायल अभियुक्त से इनका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अजय उर्फ लालू पुत्र चन्द्रपाल उम्र 23 वर्ष हाल निवास म0नं0 387 ए ब्लाक न्यू पंचवटी थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल निवास ग्राम बैहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद बताया घायल अभियुक्त अजय उर्फ लालू उपरोक्त से 01 तंमचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 पीली धातु की बटन नुमा गिट्टी व 01 घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद हुई है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण एवं अग्रिम कार्यवाही का विवरण- गिरफ्तार शुदा अभियुक्त से गहनता से पूछताछ की गई तो बताया कि मै मौका पाकर आने जाने वाले राहगीरो/महिलाओ से चैन स्नैचिंग व वाहन चोरी जैसे अन्य घटनाओं को अंजाम देता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.अजय उर्फ लालू पुत्र चन्द्रपाल उम्र 23 वर्ष हाल निवास म0नं0 387 ए ब्लाक न्यू पंचवटी थाना कोतवाली नगर कमिश्रनेट गाजियाबाद मूल निवास ग्राम बैहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अजय उर्फ लालू

अभियुक्त अजय उर्फ लालू उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर 01 मुकदमा लूट, 01 मुकदमा हत्या का प्रयास, 01 मुकदमा आयुध अधि0, 01 मुकदमा गैगेस्टर एक्ट , थाना साहिबाबाद पर 01 मुकदमा लूट का, दिल्ली राज्य में 01 मुकदमा मोटरसाईकिल चोरी का, थाना मधुबन बापूधाम पर 01 मुकदमा स्नैचिंग का, 01 मुकदमा पुलिस मुठभेड का कुल 08 मुकदमे दर्ज है।

बरामदगी का विवरण

1. 01 तंमचा .315 बोर
2. 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
3. 02 खोखा कारतूस .315 बोर

4. 01 पीली धातु की बटन नुमा गिट्टी
5. 01 घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

दिनांक 23.11.2024 को कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा जानलेवा हमला करने वाले 04 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 22.11.2024 को वादिया सुमन पुत्री यज्ञदत्त निवासी जूटमील कम्पाउण्ड पटेल मार्ग थाना सिहानी गेट गाजियाबाद को प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के भाई के नीरज के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर गम्भीर रुप से घायल करने के सम्बन्ध में तहरीर दी। उक्त तहरीर के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

कार्यवाही का विवरण:- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबीर की सूचना के आधार पर दिनांक 23.11.2024 को 04 अभियुक्त गण 1.सावेज पुत्र राशिद निवासी म0न0 42 पी0ए0सी0 चौक छोटा कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष 2.अनस पुत्र राजू निवासी सिकरौड़ा रोड गोविन्दपुरम थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष , 3.शेरखान पुत्र मौहम्मद सलीम निवासी अमन कालौनी इस्लामनगर थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष 4. रिहान पुत्र नफीस अहमद निवासी इस्लाम नगर नया बस स्टेण्ड गुलजार मस्जिद थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष को एनडीआरएफ रोड दिल्ली मार्थोमा पब्लिक स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि साहब हम लोगों ने मिलकर उसे जान से मारने की नियत से हमला किया था किन्तु वह बच गया।

अभियुक्त का नाम पता-

1. सावेज पुत्र राशिद निवासी म0न0 42 पी0ए0सी0 चौक छोटा कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष
2. अनस पुत्र राजू निवासी सिकरौड़ा रोड गोविन्दपुरम थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष
3. शेरखान पुत्र मौहम्मद सलीम निवासी अमन कालौनी इस्लामनगर थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष
4. रिहान पुत्र नफीस अहमद निवासी इस्लाम नगर नया बस स्टेण्ड गुलजार मस्जिद थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

पुलिस टीम थाना कविनगर।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 20.11.2024 को थाना अंकुर विहार पर वादिया ने एक तहरीर दी कि अभियुक्त अजहर मौहम्मद द्वारा वादिया के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करना, अभियुक्त अजहर मौहम्मद व उसके परिजनों द्वारा वादिया पर धर्म बदलने का दवाब बनाकर उसके साथ मारपीट करना तथा वादिया के पुत्र का धर्म परिवर्तन कराने की नियत से खतना करा देना, जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना अंकुर विहार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई।
तत्पश्चात दिनांक 22.11.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अजहर मौहम्मद पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी किदवई नगर सिटी अस्पताल थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ को सभापुर कट थाना अंकुर विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वर्ष-2021 में मेरी मुलाकात पीड़िता के साथ फेसबुक के माध्यम से हुई थी, जो अपने पति से अलग रहकर अकेली रहती थी, जिसे मैने नौकरी दिलाने का झाँसा देकर उसके घर आना जाना शुरु किया तथा एक दिन मौका पाकर उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये तथा उसकी वीडियो बना ली। जिसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा, जिससे एक पुत्री का भी जन्म हुआ, जिसके पश्चात मैने उसे धर्म परिवर्तन करने हेतु कहा तो वह नहीं मानी, जिस पर मैंने उसके पहले पति से प्राप्त पुत्र का धर्म परिवर्तन कराने के लिये उसका खतना करवा दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

अजहर मौहम्मद पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी किदवई नगर सिटी अस्पताल थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ, उम्र करीब 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास व मारपीट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.11.2024 को वादिया द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा वादिया के पति के साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना तथा नितिन उर्फ लोंगा द्वारा वादिया के पति के हाथ पकडना तथा निन्हे पुत्र सुभाष द्वारा धारदार चाकु /छुरी से जान से मारने की नियत से वादिया के पति की कमर में वार करना जिससे गम्भीर रूप से घायल हो जाने सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल

अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरे, मैनुअल इनपुट आदि की मदद ली गयी।

तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नितिन उर्फ लोंगा पुत्र मुकेश नि0 पंचवटी कालोनी बस डिपो के पीछे थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त नितिन उर्फ लोंगा ने पूछने पर बताया कि साहब मै और मेरा दोस्त गली में खडे होकर शराब पी रहे थे तथा अमित द्वारा हमसे गली में शराब पीने से मना किया गया तो इस बात पर हमारी आपस में हाथापाई व गाली गलौच हो गयी, हम नशे में थे मैने अमित के हाथ पकड लिये और मेरे दोस्त ने अमित के कमर में चाकू मार दिया। जिससे अमित घायल हो गया और फिर हम वहाँ से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता –

नितिन उर्फ लोंगा पुत्र मुकेश नि0 पंचवटी कालोनी बस डिपो के पीछे थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर 01 मुकदमा आयुध अधि0 तथा उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 23.11.2024 को थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त 1.आकिब पुत्र भूरे निवासी ग्राम त्योडी 13 बिसवा थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष 2. आले अली पुत्र मुनसव निवासी ग्राम त्योडी 13 बिसवा थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 46 वर्ष को थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तो ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जमीन के असली मालिक छुपाते हुये धोखाधडी कर किसी अन्य व्यक्ति के नाम बताकर बेचने जैसे अपराध कारित किये हैं जिसमें हम अपने साथियों के साथ पूर्व में जेल जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

1. आकिब पुत्र भूरे निवासी ग्राम त्योडी 13 बिसवा थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष
2. आले अली पुत्र मुनसव निवासी ग्राम त्योडी 13 बिसवा थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 46 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त आकिब व आले अली उपरोक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर धोखाधडी ,गैंगस्टर आदि के कुल 03-03 अभियोग पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना निवाड़ी पुलिस टीम ।

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 315 बोर व कारतूस बरामद ।

दिनांक 31.10.24 को थाना निवाड़ी पर पीआरवी द्वारा सूचना मिली कि ग्राम पैंगा में ग्राम प्रधान के घर के पास कुछ लोगो में पटाखे छुडाने को लेकर झगडा हो रहा है तथा फायरिंग भी हुई है । प्राप्त सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंची तो दोनो पक्ष हाथों में लाठी डंडे व सरिया लिये आपस मे मारपीट व पथराव कर रहे थे । मौके पर पूछताछ से ज्ञात हुआ कि ग्राम प्रधान उपदेश पुत्र जयप्रकाश व उनके पडोसी/ परिवारीजन सुरेन्द्र व जितेन्द्र आदि अपने घर के दरवाजे के सामने खडंजे पर पटाखे जला रहे थे तभी ग्राम प्रधान उपदेश ने खडंजे पर पटाखे न जलाने को लेकर विरोध किया तो इसी बात को लेकर दोनो पक्षों में गाली गलौच व पथराव किया गया तथा जान से मारने की नियत से एक दूसरे पर फायरिंग की गयी। पथराव मे घायल उपदेश व सुनील उर्फ ऋषिपाल पुत्रगण जयप्रकाश नि0 पैंगा निवाड़ी गा0बाद को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी मुरादनगर भेजा गया। हल्का प्रभारी की लिखित तहरीर के आधार पर दोनो पक्षो के विरुद्ध थाना निवाड़ी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । तत्पश्चात थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा दिनांक 02.11.24 को अभियुक्त 1. सुरेन्द्र पुत्र सतपाल निवासी ग्राम पैगा थाना निवाड़ी गाजियाबाद हाल पता नन्दनगरी गली न0 3 थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 67 वर्ष, 2. दीप पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पैगा थाना निवाड़ी गाजियाबाद हाल पता नन्दनगरी गली न0 3 थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 3. सुनील उर्फ ऋषिपाल पुत्र जयप्रकाश नि0 ग्राम पैंगा थाना निवाड़ी गा0बाद उम्र करीब 50 वर्ष 4. उपदेश पुत्र जयप्रकाश नि0 ग्राम पैंगा थाना निवाड़ी गा0बाद उम्र करीब 48 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को उसके मस्कन से अभिरक्षा में लिया गया तथा मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

आज दिनांक 23.11.2024 को थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र सतपाल निवासी ग्राम पैगा थाना निवाड़ी गाजियाबाद उम्र वर्ष 51 को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त में 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि दीपावली की रात्रि में हम लोगो का पटाखे छुडाने को लेकर विवाद हो गया था । जिसमें मेरे द्वारा फायरिंग कर दी गई थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

जितेन्द्र पुत्र सतपाल निवासी ग्राम पैगा थाना निवाड़ी गाजियाबाद, उम्र वर्ष 51

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त में 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस

आपराधिक इतिहास-

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना निवाड़ी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना निवाड़ी पुलिस टीम

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 23.11.2024 को थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर के अभियोग में वांछित अभियुक्त इन्दर उर्फ इन्द्र जीत पुत्र वनवारी लाल निवासी ग्राम मुरलीपुर फूल थाना मुडाली जनपद मेरठ उम्र 22 वर्ष को थाना मुंडाली जनपद मेरठ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट, चोरी जैसे अपराध कारित किये हैं जिसमें मैं अपने साथियों के साथ पूर्व में जेल जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

1. इन्दर उर्फ इन्द्रजीत पुत्र वनवारी लाल निवासी ग्राम मुरलीपुर फुल थाना मुडाली जनपद मेरठ उम्र 22।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त इन्दर उर्फ इन्द्रजीत उपरोक्त के विरूद्ध थाना निवाड़ी पर लूट, गैंगस्टर आदि के कुल 03 अभियोग पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि मेरा ओप्पो कम्पनी का मोबाइल फोन लूट लिया गया है, प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए तत्काल टीम का गठन किया गया। लूट के नामित/वांछित 02 बाल अपचारी को दिनांक 21.10.2024 को ही लूट के मोबाइल फोन के साथ अभिरक्षा में लिया गया तथा वांछित अभियुक्त लेफ्टी उर्फ विशाल पुत्र वंशीलाल निवासी गण सोम बाजार पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद को दिनांक 10.11.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा लूट के अपराधी एक शेष वांछित अभियुक्त मुकेश पुत्र सुरेश निवासी गण सोम बाजार पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद को आज

दिनांक 23.11.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तारी किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त मुकेश उपरोक्त ने बताया कि मैने अपने साथी लेफ्टी उर्फ विशाल व दो अन्य बाल अपचारी के साथ मिलकर कुछ दिनों पहले रात्रि में अरबन हस्पीटल के पास मंगल बाजार की ओर जाने वाले रास्ते पर पैदल जा रहे एक व्यक्ति से मोबाइल लूट लिया था। मोबाइल को लेफ्टी उर्फ विशाल अपने पास रख कर उसमे अपना सिम डालकर प्रयोग कर रहा था। साथी लोग लूटे गये मोवाइल के रूपये मागने लगे तो लेफ्टी उर्फ विशाल ने मोवाइल को अपने साथी को दे दिया था। मेरे अन्य साथी दिनांक 21/10/2024 को लूटे गये मोवाइल का साथ गिरफ्तार हो गये थे तो मै पकडे जाने के डर से फरार हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मुकेश पुत्र सुरेश निवासी गण सोम बाजार पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।